

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई 2024

सं.आरजी-8/1/(9)/2021-बी और सीएस(1 और 3).--- भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्र.सं. 498 में प्रकाशित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या आर जी-8/1/(9)/2021-बी और सीएस(1 और 3) दिनांक 8 जुलाई 2024 में --

पृष्ठ संख्या 2 पर, खंड (1) के उप-खंड (3) में, "खंड 2, 7 और 8 को छोड़कर" को "खंड 2, 5 और 6 को छोड़कर" के रूप में पढ़ा जाए ।

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा